

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2013/फाल्गुन 10, 1934
No. 458]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2013/PHALGUNA 10, 1934

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2013

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करती है तथा उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 1403(अ) तारीख 4 सितंबर, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 3, 4 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"3.	श्रीमती मेनका गांधी, संसद सदस्य (लोक सभा) ।	- सदस्य (20 सितंबर, 2015 तक या उनके लोक सभा की सदस्य न रहने तक, इसमें जो भी पूर्वत्तर हो ।
4.	श्री सज्जन वर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) ।	- सदस्य (20 सितंबर, 2015 तक या उनके लोक सभा के सदस्य न रहने तक, इसमें जो भी पूर्वत्तर हो ।
5.	श्री पी.भट्टाचार्य, संसद सदस्य (राज्य सभा) ।	- सदस्य (20 सितंबर, 2015 तक या उनके राज्य सभा के सदस्य न रहने तक, इसमें जो पूर्वत्तर हो ।

[फा. सं. 15-25/2009-एनटीसीए]

डॉ. राजेश गोपाल, अपर प्रधान मुख्य वनपाल (व्याघ्र परियोजना)

हिष्पण: राष्ट्रीय व्याघ्र संस्क्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक का.आ. 1403(अ) तारीख 4 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित पश्चातंवर्ती संशोधन किए गए है, अर्थात :--

- 1. का.आ. 1889(अ) तारीख 2 नवंबर, 2006
- 2. का.आ. 981(अ) तारीख 13 जून, 2007;
- 3. सं0 15-25/2009-एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 तारीख 4 सितंबर, 2009 में प्रकाशित ;
- 4. सं0 15-25/2009-एनटीसीए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 4 तारीख 17 सितंबर, 2010 में प्रकाशित) द्वारा किए गए ;
- 5. का.आ.1440(अ) तारीख 21 जून, 2011 और
- 6. का.आ.2276(अ) तारीख 21 सितंबर, 2012 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2013

S.O. 495(E).—In exercise of the powers conferred by sub – section (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following members to the National Tiger Conservation Authority for the period specified against their names with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O 1403 (E), dated the 4th September, 2006 namely:-

In the said notification, for serial numbers 3, 4 and 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted namely:-

"3.	Smt. Maneka Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha).	- Member (She shall hold office up to 20th September, 2015 or till she ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier.
4.	Shri. Sajjan Verma, Member of Parliament (Lok Sabha).	- Member (He shall hold office up to 20th September, 2015 or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier.
5.	Shri. P.Bhattacharya, Member of Parliament (Rajya Sabha).	- Member (He shall hold office up to 20th September, 2015 or till he ceases to be a Member of Rajya Sabha, whichever is earlier.".

[F. No. 15-25/2009-NTCA]

Dr. RAJESH GOPAL, Addl. Director General of Forests (Project Tiger)

Note: The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extra-ordinary vide notification number S.O 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

- 1. S.O 1889 (E), dated the 2nd November, 2006;
- 2. S.O. 981(E) dated the 13th June, 2007;
- No.15-25/09 NTCA. published in the Gazette of India Extra Ordinary, Part III Section 4 dated the 4th September, 2009;
- No.15-25/09 -NTCA. published in the Gazette of India Extra Ordinary, Part III Section 4 dated the 17th September, 2010;
- 5. S.O. 1440(E) dated the 21st June, 2011 and
- S.O. 2276(E) dated the 21st September, 2012.